न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– संजना जोशी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 40 / 2023

1. भीमसैन पुत्र धन्नाराम जाति बिश्नोई निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

— वादी

–:: बनाम ::–

1. सतपाल पुत्र स्व. पतराम जाति बिश्नोई निवासी मेहराणा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब)।
2. निर्मला देवी पुत्री स्व. पतराम जाति बिश्नोई निवासी पन्नीवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. रेशमाराम जाति बिश्नोई निवासी मेहराणा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब)।
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. रेशमाराम जाति बिश्नोई निवासी मेहराणा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब)।
5. सावित्री देवी पुत्री स्व. रेशमाराम जाति बिश्नोई निवासी मेहराणा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब)।
6. मुन्नी देवी पुत्री स्व. रेशमाराम जाति बिश्नोई निवासी मेहराणा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब)।
7. लीलादेवी पत्नी स्व.रामराय जाति बिश्नोई निवासी मेहराणा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब)।
8. संदीप कुमार पुत्र स्व.रामराय जाति बिश्नोई निवासी मेहराणा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब)।
9. पुरुषोत्तम पुत्र स्व. सरस्वती जाति बिश्नोई निवासी पन्नीवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
10. सविता पुत्री स्व. सरस्वती पत्नी विनोद जाति बिश्नोई निवासी भोड़िया तहसील व जिला फतेहाबाद(हरियाणा)।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता —वादी
2. श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता —प्रतिवादी सं. 1 ता 10
2. राजपैरोकार स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा —प्रतिवादी सं. 11

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 16/01/24

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाद के पक्षकारो का रजिस्टर्ड पता वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है जो परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है। उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता श्री रूघाराम थे। प्रतिवादीगण के पिता, ससुर, दादा, पड़दादा, नाना स्व. पतराम के नाम से संयुक्त खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 8 एलजीडब्ल्यु–बी के खाता सं. 85 के प.नं. 16 / 287, 17 / 287 की कुल 4.554 हैक्ट. अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन में से 1/3 हिस्सा मुताबिक नकल जमाबंदी सम्वत् 2076–79 दर्ज राजस्व अभिलेख है।

वादी के पिता धन्नाराम, चाचा पतराम के नाम से पीलीबंगा तहसील के गांव लिखमीसर मे 37.10 बीघा व मेहराणा महाराजपुर पंजाब के करीब 96 कनाल कृषि भूमि थी जिसका सन् 1974 मे रिहायस तथा काश्त की सुविधानुसार वादी के पिता धन्नाराम व चाचा पतराम द्वारा आपसी सहमति से घरा घरू तबादला कर लिया और घरा घरू तबादला अनुसार गांव लिखमीसर की 37.10 बीघा कृषि भूमि धन्नाराम को प्राप्त हुई और गांव मेहराना महाराजपुर की 96 बीघा भूमि पतराम को प्राप्त हुई और उक्त घरू तबादला अनुसार ही काबिज काश्त हुए तथा 1 वर्ष के अन्दर उक्त तबादला अनुसार राजस्व अभिलेख मे मार्फत न्यायालय डिक्री के अपने – अपने नाम से करवाने को स्वतंत्र होगे तथा खर्चा पक्षकारान निस्फ–निस्फ वहन करेंगे।

वादी को अपने पिता धन्नाराम से पंजाब के गांव मेहराना से विरासतन प्राप्त भूमि का मौखिक तौर पर पतराम के वारिसान को भूमि दे दी और पतराम के वारिसान द्वारा पतराम के हक व हिस्सा मे से 18 बिस्वा यानि 0.228 हैक. कृषि भूमि वादी को दे दी और उसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने –अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज काश्त है लेकिन वर्तमान राजस्व अभिलेख मे वाद पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि मे पतराम के नाम से 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व अभिलेख है जिसमे से वादी की 0.228 हैक. हक व हिस्सा मुताबिक घरू बंटवारा एवं तबादलानुसार बनता है जो कि वादी के नाम से दर्ज नही होने से वादी की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पडता है इसलिए वादी वाद पत्र की दफा 3 मे पतराम के नाम वर्णित 1/3 हिस्सा मे से 0.228 हैक. कृषि भूमि की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि वे वादग्रस्त पैतृक कृषि भूमि मे वादी का हक व हिस्सा मानते हुए घरू बंटवारा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन करवा देवे तो कुछ दिन तो टालमटोल करते रहे परन्तु आज से 5 दिन पूर्व ऐसा करने से इंकार हो गये बस यही वाद कारण है है।

प्रतिवादी सं. 11 भू–धारक है इसलिये उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।

अतः वाद पत्र वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी निम्न प्रकार से फरमाया जावे :–

(क) घोषित किया जावे कि तहसील पीलीबंगा के चक 8 एलजीडब्ल्यु–बी के खाता सं. 85/71 प. नं. 16/287 (36) कि.नं. 5/1, 5/2, 6/1, 6/2 की 0.506 हैक्टेयर भूमि अनकमाण्ड मय गै.मु. रास्ता भूमि व प.नं. 17/287 (37) किला नं. 1/1 से 4/2, 8 से 13, 18 से 23 की 4.048 हैक्ट. अनकमाण्ड मय गै.मु. रास्ता भूमि कुल 4.554 हैक्ट. में पतराम पुत्र रूघाराम का 1/3 हिस्सा यानि 1.518 हैक्ट. भूमि में से 0.228 हैक्ट. भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो अदालत हाजा उचित समझे दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गयी कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गयी। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा

भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि वादी की पैतृक खातेदारी भूमि है। जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत तहसील पीलीबंगा के चक 8 एलजीडब्ल्यु-बी के खाता सं. 85/71 प.नं. 16/287 (36) कि.नं. 5/1, 5/2, 6/1, 6/2 की 0.506 हैक्ट. भूमि अनकमाण्ड मय गै.मु. रास्ता भूमि व प.नं. 17/287 (37) किला नं. 1/1 से 4/2, 8 से 13, 18 से 23 की 4.048 हैक्ट. अनकमाण्ड मय गै.मु. रास्ता भूमि कुल 4.554 हैक्ट. अनकमाण्ड मय गै.मु. रास्ता भूमि में पतराम पुत्र रूघाराम के नाम दर्ज कृषि भूमि का 1/3 हिस्सा यानि 1.518 हैक्ट. भूमि में से 0.228 हैक्ट. भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रखा जावे।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 16.01.24....... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Sanjana 16/1/24

(संजना जोशी आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कलक्टर एव
पदेन सहायक कलेक्टर पीलीबंगा
पीलीबंगा